फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – कोतवाली कायमगंज

दिनांक – 14.03.2026

कोतवाली कायमगंज पुलिस द्वारा महिला के साथ लूट करने वाला लुटेरा किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे के क्रम में कोतवाली कायमगंज पुलिस द्वारा दिनांक 13.03.2026 को मु0अ0सं0 66/26 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस में मुखबिर खास की सूचना पर एक लुटेरे शनी को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शनी पुत्र विजय कश्यप उर्फ ब्रजबिहारी निवासी दत्तू नगला कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़।

घटना का संक्षिप्त विवरण- वादी मुकदमा राम पुत्र राजवीर सिंह निवासी ग्राम करनपुर घाट थाना अमृतपुर जनपद फर्रुखाबाद द्वारा दिये गये प्रा0पत्र वादी मुकदमा की मोटर साइकिल को तमंचे के बल पर दो मोटर साइकिल सवार द्वारा रोककर वादी मुकदमा की बहिन के कान के कुन्डल तथा उसका पर्स जिसमें 1150 रू0 तथा आधार कार्ड की छायाप्रति रखी थी को बल पूर्वक लूट लेने के सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 66/26 धारा 309(4) बीएनएस पंजीकृत

किया गया था विवेचना के आधार पर अभियोग में 01- शनी   2- कुलदीप पुत्र संजीवन सिंह निवासी मिलकइलाही अल्लैयापुर थाना पटियाली जनपद कासगंज का नाम प्रकाश में आया है । अभियुक्त शनी उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक पर्स(लेडीज), 1150/रूपये नगद व आधार कार्ड की छायाप्रति व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद हुयी । गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी ।

पूछताछ का विवरण – अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं रेलवे स्टेशन कायमगंज के पास में छोले भटूरे व कचौडी का ठेला लगाकर बेचता हूँ दिनांक 13.03.2026 को मैं अपने साथी कुलदीप के साथ ब्राहिमपुर के पहले एक मोटर साइकिल सवार जिसके पीछे एक महिला बैठी थी, से तमंचा के बल पर इसी रोड पर ब्राहिमपुर से थोड़ा पहले कायमगंज की तरफ लेडीज के कान के कुंडल तथा उसके हाथ से पर्स लूट लिया था । साहब उस समय मोटर साइकिल को मैं चला रहा था और मेरा साथी कुलदीप पीछे बैठा था उसी के पास तमंचा था उसी ने तमंचा उन मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति व महिला को दिखाकर धमकाया व डराया था । उसके बाद हम लोग लूटपाट करके अलीगंज की तरफ भाग रहे थे तो कुछ लोगों ने बाद में हमें आगे चलकर घेर लिया तो मेरा साथी कुलदीप मोटर साइकिल से जल्दी में कूदकर लूटे हुए कुंडल लेकर खेतों की तरफ भाग गया और मुझे वहाँ लोगों ने पकड लिया था। उसी समय आप लोग भी वहीं पर आ गये थे। महिला से लूटा हुआ पर्स व पर्स में रखे 1150 रूपये व आधार कार्ड की छायाप्रतियां, घटना में प्रयोग की गयी मोटर साइकिल मेरे पास थी , यह अपाचे मोटर साइकिल मेरे साथी कुलदीप की ही है।

अभियुक्त शनी उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

मु0अ0सं0 66/26 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस

बरामदगी का विवरण-

1. 1150 रूपये
2. 02 आधार कार्ड
3. घटना में प्रयुक्त एक अपाचे मोटर साइकिल

गिरफ्तारी/बरामदी करने वाली कोतवाली कायमगंज पुलिस टीम-

01. प्र0नि0 श्री मदन मोहन चतुर्वेदी
02. निरीक्षक श्री सुरजीत सिंह
03. का0 रोहित कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़।